राजस्थान सरकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी रतन कुमार आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 45/2023 अपील

1. अर्चना पत्नी नरेश पाटोदी निवासी आदर्श मोहल्ला भीलवाड़ा 2. सीमा पत्नी मुकेश पाटोदी निवासी माणिक्य नगर भीलवाड़ा –अपीलार्थी	बनाम	1. महेश न्याती पिता नाथूलाल न्याती निवासी आर.सी. व्यास कोलोनी, भीलवाड़ा हाल भदादा बाग के पीछे, भीलवाड़ा –रेस्पोडेण्ट

अपील विरुद्ध आदेश तहसीलदार भीलवाड़ा दिनांक 04–08–2023
प्रकरण सं. 01/2023 (धारा 251 रा.टि.ए.)
अपील अन्तर्गत धारा 225 रा.टि.ए.

उपस्थित –
1. श्री भैरूलाल बापना अधिवक्ता – अपीलार्थी की ओर से
2. श्री राकेश जैन, कमल काष्ट अधिवक्ता – विपक्षी की ओर से

निर्णय

दिनांक 18.06.2024

अपीलार्थी की ओर से यह अपील अंतर्गत धारा 225 आर.टी.ए. विरूद्व तहसीलदार भीलवाडा के प्रकरण संख्या 01/2023 के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विपक्षी महेश पिता नाथूलाल न्याती ने तहसीलदार भीलवाड़ा के यहां दिनांक् 02–05–2023 को एक प्रार्थना पत्र राजस्व नक्शे में दुरूस्ती बाबत् इस आशय का पेश किया कि ग्राम पुर में स्थित आराजी सं. 8345 रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा में से 2 बीघा 12 बिस्वा भूमि उसने व उसके भाइयो रविन्द्र, कमलेश, विष्णुस्वरूप ने दिनांक 28–01–2002 को खातेदार सोहनलाल पिता छोगालाल सुथार से पंजीकृत विक्रयपत्र से क्रय की थी। जिसके नये आराजी सं. 8345/2 बने हैं । विपक्षी ने अपने प्रार्थना पत्र में आगे यह भी लिखा कि खातेदार सोहनलाल ने दिनांक 28–01–2002 को ही निर्मला कोगटा व बसन्ता बाहेती को आराजी सं. 8345 में से 1 बीघा 8 बिस्वा भूमि विक्रय की थी जिसके नये आराजी सं. 8345/1 कायम किये गये थे